B.Ed – 1st Year **Nakul Sah**

Gender, School and Society **Assistant Professor**

Course- 6

Role of Curriculum
पाठ्यक्रम की भूमिका

लैंगिक समानता को सुदृढ़ बनाने में पाठ्यक्रम की भूमिका

लैंगिक समानता को सुदृढ़ बनाने में पाठ्यक्रम की भूमिका महत्वपर्ण होती है। पाठ्यक्रम की भूमिका को निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया जा सकता हैं –

1.सर्वांगीण विकास पर आधारित पाठ्यकम –

विद्यालयी स्तर पर पाठ्यकम का स्वरूप बालक के सर्वांगीण विकास पर आधारित होना चाहिए, जैसे जब एक बालिका को रसोई एवं भोजन से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की जाती है तो बालक को भी इसकी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। इससे दोनों को विकास के विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त होगें जिससे एक ओर जहाँ दोनों का सर्वांगीण विकास होगा वहीं दूसरी ओर लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा।

2. अधिगम गतिविधियों में समानता–

पाठ्यक्रम में उन्हीं अधिगम को स्थान देना चाहिए जिससे बालक एवं बालिका को समान में सहभागिता प्राप्त हो सके। जैस–े शैक्षिक भ्रमण जैसी गतिविधियो में अभिभावक यदि छात्राओं को भेजने से इन्कार करते हैं तो शैक्षिक भ्रमण इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें सुबह जाकर शाम तक वापस घर आ सके। अतः

इस प्रकार की गतिविधियों में बालक एवं बालिकाओं की सहभागिता अनिवार्य होनी चाहिए।

3.पाठ्यक्रम में सकारात्मक भाषा का उपयोग–

पाठ्यक्रम में सकारात्मक भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। किसी भी तथ्य को बालिकाओं के नाम से ही सम्बोधित नहीं करना चाहिए जैस– बालिकाएँ बहुत स्वादिष्ट भोजन पकाती हैं या बहुत अच्छी सिलाई करती हैं। इससे उनमें लैंगिक भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। सकारात्मक भाषा के रूप में सिलाई भोजन पकाना बालक व बालिकाओं का आवश्यक गुण है। इन्हें दोनो को सीखना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग लैंगिक समानता लाती है।

4. विषयों के चयन में परम्पराओं का विरोध–

विषयों के चुनाव में परम्पराओं का पर्णूतया विरोध करना चाहिए। जैसे बालिकाओं के अभिभावक यह कहते हैं कि उस गृहविज्ञान विषय ही लेना चाहिए तो अध्यापक को इस तथ्य का विरोध करना चाहिए एवं बालिका को उसकी योग्यता के आधार पर विषय प्रदान करने चाहिए।

5. पाठ्यक्रम में समानता–

पाठ्यक्रम में समानता से हमारा अभिप्राय पाठ्यक्रम में उन गतिविधियों व तथ्यों को शामिल करने से है जिससे बालक एवं बालिकाओं के मध्य समानता उत्पन्न हो सके। जैसे गृह विज्ञान विषय बालिकाओ के लिए माना जाता है। गृह विज्ञान विषय के प्रमुख तथ्यों का समावेश जीव विज्ञान व सामाजिक विज्ञान विषयों म कर देना चाहिए ताकि बालक भी इन तथ्यों से परिचित हो सके। इसके साथ–साथ बालक एवं बालिका के लिए पाठ्यचर्या में भिन्नता नहीं होनी चाहिए।

6. पाठ्य–सहगामी क्रियाओं मे समानता–

पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन व संचालन में बालक–बालिकाओ का विभेद नहीं होना चाहिए। किसी भी पाठ्य–सहगामी क्रिया का चयन कोई भी बालक या बालिका कर सकती है। इससे भी लैंगिक असमानता का समापन होगा एवं समानता स्थापित होगी।

7. रूचि एवं योग्यता के अनुसार विषय–

पाठ्यक्रम का संगठन इस प्रकार होना चाहिए जिसमें बालक व बालिकाएँ अपनी रूचि एवं योग्यता के अनुसार विषयों का चयन कर सके। जैसे यदि एक छात्र गृह विज्ञान पढ़ना चाहता है तो उसे उच्च प्राथमिक स्तर पर गृह विज्ञान मिलना चाहिए एवं बालिका यदि कृषि विज्ञान पढ़ना चाहती है तो उसको कृषि विज्ञान पढ़ने के अवसर दिए जाने चाहिए। इससे दोनों के बीच विषय सम्बन्धी समानता जन्म लेगी। इसी प्रकार यदि किसी बालक में नृत्य, लोकगीत व सगीत की योग्यता है तो

विद्यालयी स्तर पर उसे इन विषयों को उपलब्ध कराना चाहिए तथा साथ ही साथ अध्यापकों को उस अमुक बालक को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। इसी प्रकार बालिका योग्यता का भी ध्याना रखना चाहिए।

8. पाठ्यक्रम के उद्देश्यों में आदर्शवादिता–

पाठ्य के विभिन्न उद्देश्यों में लैंगिक समानता का उद्देश्य प्रमुख होना चाहिए। उन पाठ्यक्रमों को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाना चाहिए जो मात्र बालिकाओं के लिए ही बने हैं। पाठ्यचर्या का उद्देश्य समस्त योग्यताओं में बालक एवं बालिकाओं को समान रूप से दक्ष बनाना होना चाहिए क्योकि इसी से लैंगिक समानता स्थापित हो सकेगी।

9. व्यावहारिक पाठ्यक्रम–

पाठ्यक्रम के निर्माण स पर्वू लैंगिक भेदभाव सम्बन्धी सभी महत्वपर्ण तथ्यों एवं घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए। इस सभी विभेदों को समाप्त करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। जैस– महिलाओं को प्रशासनिक क्षमता में अयोग्य माना जाता है तो पाठ्यचर्या में इन्दिरा गाँधी व रानीलक्ष्मी बाई की जीवनी को शामिल करना चाहिए।

★★★★★